

विषय:- सीधे नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों के आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण (Basic Training) हेतु पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के संबंध में -

पुलिस उपाधीक्षकों के आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण (Basic Training) हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के विन्दु पर पुलिस मुख्यालय, बिहार के स्तर से पूर्व में पुलिस आदेश संख्या 270/99 एवं अन्य सुसंगत आदेश/निदेश निर्गत हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद बी0पी0आर0 एण्ड डी0 के दिशा-निर्देशों एवं अन्य राज्यों में प्रभावी पाठ्यक्रमों के अध्ययनोपरान्त बिहार पुलिस अकादमी द्वारा बिहार पुलिस को अद्यतन सुसंगत, सम सामयिक एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से कतिपय अनुरासाएँ की गई हैं।

तदनुसार, पुलिस आदेश संख्या-270/99 को विलोपित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम कालांश एवं पूर्णांक निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है।

1. पुलिस उपाधीक्षकों के आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण के सम्पूर्ण कार्यक्रम की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है -

क्र.	विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि (12 माह)	365 दिन
2	रविवार एवं अवकाश	82 दिन
3	जीरो वीक की अवधि	06 दिन
4	परीक्षा दिग्गन्त परेड का अन्तर्गत गत अन्तर्गत कर्तव्य के दिन निर्धारित अवधि	21 दिन
5	स्टडी टूर	06 दिन
6	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कुल दिन	237 दिन
7	कालांश प्रतिदिन (अन्त विषय 06 कालांश, बाह्य विषय 05 कालांश)	11 कालांश
	कुल कालांशों की संख्या	2607

- पुनरीक्षित कार्यक्रम - पुलिस बल के उन्नयन एवं कोशल संवर्धन हेतु अन्त विषयों एवं बाह्य विषयों के पाठ्यक्रम में कतिपय नये विन्दुओं को समाहित करते हुए कालांश पूर्णांक एवं समय सारणी को पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है, जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।
- प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है, जो परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।
- संस्था स्तर पर आयोजित की जानेवाली मध्यावधि परीक्षा एवं पुलिस अकादमी स्तर पर केंद्रीय रूप से आयोजित की जानेवाली अंतिम परीक्षा हेतु सुस्पष्ट सिद्धांत निरूपित किया गया है, जो परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न है।

तदनुसार आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण हेतु संशोधित पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित की जाती है -

(a) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम (विषय), कालांश एवं पूर्णांक निम्न सारणी के अनुरूप परिशिष्ट-04 से 10 (संलग्न) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

पेपर	विषय	सम्पूर्ण योग		परिशिष्ट (संलग्न)
		कालांश	अंक	
1	आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं प्रशासन :	116	100	04
	1.1 आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका	24	25	4A
	1.2 पुलिस संगठन	28	25	4B
	1.3 राज्य पुलिस व्यवस्था	30	25	4C
	1.4 पुलिस प्रशासन	34	25	4D
2	भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार, विधि शास्त्र :	44	50	05
	2.1 भारतीय संविधान	12	20	5A
	2.2 पुलिस एवं मानवाधिकार	18	15	5B
	2.3 विधि शास्त्र एवं विधिक अवधारणा	14	15	5C

(b) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (विषय), कालांश एवं पूर्णांक निम्न सरणी के अनुरूप परिशिष्ट-20-29 (संलग्न) के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

क्र. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग		परिशिष्ट (संलग्न)
		कालांश	अंक	
1	शारीरिक प्रशिक्षण	325	300	20
2	ड्रिल (पदादि प्रशिक्षण)	135	100	21
3	शस्त्र प्रशिक्षण	95	50	22
4	फायरिंग (मस्केटरी)	30	25	23
5	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टेक्टिक्स, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च	75	75	24
6	यातायात ड्रिल	10	25	25
7	भीड़ नियंत्रण ड्रिल	35	25	26
8	मोटर ड्राइविंग	35	50	27
9	तेराकी	60	50	28
10	घुड़सवारी (अश्वारोहन)	140	100	29
11	पुनरावलोकन एवं स्वाध्याय	16		
	योग	956	800	

अनुलग्नक - परिशिष्ट 01 से 29 तक

पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1534/एक्स0पी0

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 30.05.2019

प्रतिलिपि :-


1. प्रधान सचिव, गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि प्रस्तुत पुलिस आदेश जांचोपरान्त अनुमोदन करना चाहेंगे, ताकि पुलिस उपाधीक्षकों के आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सुसंगत, समसामयिक एवं सक्षम बनाया जा सके।
2. पुलिस महानिदेशक(बिहार पुलिस अकादमी/प्रशिक्षण), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
3. सभी अण्डर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार (इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार(इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा/प्राचार्य, सी0टी0एस0, नाथनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
7. प्रशाखा पदाधिकारी, पी-01, पी-02 प्रशाखा, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
8. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

(b) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (विषय), कालांश एवं पूर्णांक निम्न सरणी के अनुरूप परिशिष्ट-20-29 (संलग्न) के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

क. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग		परिशिष्ट (संलग्न)
		कालांश	अंक	
1	शारीरिक प्रशिक्षण	325	300	20
2	ड्रिल (पदादि प्रशिक्षण)	135	100	21
3	शस्त्र प्रशिक्षण	95	50	22
4	फायरिंग (मस्केटरी)	30	25	23
5	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टेक्टिक्स, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च	75	75	24
6	यातायात ड्रिल	10	25	25
7	भीड़ नियंत्रण ड्रिल	35	25	26
8	मोटर ड्राइविंग	35	50	27
9	तेराकी	60	50	28
10	घुड़सवारी (अश्वारोहन)	140	100	29
11	पुनरावलोकन एवं स्वाध्याय	16	-	
	योग	956	800	

अनुलग्नक - परिशिष्ट 01 से 29 तक


पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।


ज्ञापंक. 1534/एक्स0पी0

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 30.05.2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि प्रस्तुत पुलिस आदेश जांचोपरान्त अनुमोदन करना चाहेंगे, ताकि पुलिस उपाधीक्षकों के आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सुसगत, समसामयिक एवं सक्षम बनाया जा सके।
2. पुलिस महानिदेशक(बिहार पुलिस अकादमी/प्रशिक्षण), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी अयर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार (इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार(इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा/प्राचार्य, सी0टी0एस0, नाथनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. प्रशाखा पदाधिकारी, पी-01, पी-02 प्रशाखा, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-01

पुलिस उपाधीक्षकों का आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण (Basic Training) अध्ययन एवं मूल्यांकन

क्र.	विषय	कालांश	अंक
1	अन्तः कक्षीय		
2	बाह्य प्रशिक्षण	1361	1400
3	कैम्पस कोर्स	956	800
4	राज्य विशिष्ट विषय	100	-
5	प्रधानाचार्य का आकलन	90	-
6	विशेषज्ञों के व्याख्यान/सेमिनार/वर्कशॉप/रिवीजन	-	100
7	कुल योग	100	-
		2607	2300

(ii) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, कालांश एवं अंक वितरण आदि

पेपर	विषय	सम्पूर्ण योग	
		कालांश	अंक
1	आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं प्रशासन :		
1.1	आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका	116	100
1.2	पुलिस संगठन	24	25
1.3	राज्य पुलिस व्यवस्था	28	25
1.4	पुलिस प्रशासन	30	25
2	भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार, विधि शास्त्र :	34	25
2.1	भारतीय संविधान	44	50
2.2	पुलिस एवं मानवाधिकार	12	20
2.3	विधि शास्त्र एवं विधिक अवधारणा	18	15
3	भारतीय दण्ड संहिता	14	15
4	दण्ड प्रक्रिया संहिता	98	100
5	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	98	100
6	विविध अधिनियम (स्थानीय एवं विशेष)	32	50
7	अपराध शास्त्र	68	75
8	अपराध नियंत्रण, निगरानी, आसूचना संकलन :	42	50
8.1	बीट एवं गश्ती	68	75
8.2	निगरानी एवं आसूचना संकलन	22	25
8.3	अपराध एवं अपराध अभिलेख	20	25
9	लोक शांति व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन :	26	25
9.1	लोक शांति व्यवस्था का संधारण	97	100
9.2	यातायात प्रबंधन	45	50
9.3	सुरक्षा	20	20
9.4	आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य	22	20
10	अनुसंधान एवं विचारण :	10	10
10.1	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण	136	150
10.2	विधि विज्ञान	50	50
10.3	विधि औषधि	41	40
10.4	विचारण एवं न्यायालय प्रबंधन	22	30
11	रिलेशनशीप प्रबंधन एवं मानव व्यवहार :	23	30
		108	100

	11.1	रिलेशनशीप प्रबंधन के सिद्धान्त	23	25
	11.2	समूह तथा संस्थानों के साथ संबंध	27	25
	11.3	मानव व्यवहार	58	50
12	पुलिस उपाधीक्षक के कर्तव्य एवं केस स्टडी :		91	100
	12.1	पुलिस उपाधीक्षक के कर्तव्य	23	25
	12.2	केस स्टडी	68	75
13	क्षेत्र कौशल : फोटोग्राफी, पुलिस संवाद :		98	100
	13.1	क्षेत्र कौशल : फोटोग्राफी	22	25
	13.2	लिखित संवाद	48	50
	13.3	मौखिक संवाद	28	25
14	प्राथमिक उपचार, आपातकाल, फायरफाइटिंग, सामुदायिक पुलिसिंग :		50	50
	14.1	प्राथमिक उपचार	35	35
	14.2	सामुदायिक पुलिसिंग	15	15
15	कम्प्यूटर, डाटाबेस मैनेजमेंट		115	100
16	थाना प्रबंधन एवं अभिलेख संधारण :		100	100
	कुल :		1361	1400

(iii) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के कालांश एवं अंक-योजना

क्र. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग	
		कालांश	अंक
1	शारीरिक प्रशिक्षण	325	300
2	ड्रिल (पंदादि प्रशिक्षण)	135	100
3	शस्त्र प्रशिक्षण	95	50
4	फायरिंग (मस्केटरी)	30	25
5	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च	75	75
6	यातायात ड्रिल	10	25
7	भीड़ नियंत्रण ड्रिल	35	25
8	मोटर ड्राइविंग	35	50
9	तेराकी	60	50
10	घुड़सवारी (अश्वारोहन)	140	100
11	पुनर्संवलोकन एवं स्वास्थ्य	16	-
	योग	956	800

(iv) पुलिस उपाधीक्षक अधिष्ठापन प्रशिक्षण में संपुट विषयों (Capsule Course) का पाठ्यक्रम :

क्र.	विषय	कालांश
1	अनुशासन, विभागीय कार्यवाही एवं विभागीय दण्ड	10
2	लेखा एवं सरकारी क्रय के व्यवहारिक एवं नियमन नियंत्रण पद्धति	10
3	पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान के नैतिक आचरण एवं मिथ्या कार्य के कुप्रभाव	10
4	उग्रवाद के विरुद्ध SRE स्कीम एवं मानवीय तथा समाजिक कार्य	10
5	पुलिसिंग; उग्रवाद; अधिनस्थ नियंत्रण के वरीय पदाधिकारियों के अनुभवों का व्याख्यान	10
6	मानव व्यापार एवं लिंग संवेदीकरण	05
7	स्पीडी ट्रायल एवं अपील, जमानत रद्दीकरण, रिहाई की समीक्षा, प्रिवेंसन ऑफ मनी लाउन्ड्रींग एक्ट, सम्पत्ति का समपहरण एवं विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराध, ट्रैप कांड	15
8	वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति : वैश्विक परिदृश्य	10
9	पुलिस नियंत्रण कक्ष, सी0सी0टी0भी0 कैमरा, मॉनिटर का प्रबंधन एवं पुलिस कार्य में	05

	इसकी उपयोगिता के उपाय एवं अनुभवों का आदान प्रदान	
10	ई-पुलिसिंग की अवधारणा, पुलिस केन्द्र में कर्तव्य बाटने में, प्रतिनियुक्ति स्थल एवं कर्तव्यों की निगरानी में, गश्ती दल के संचालन एवं नियंत्रण में अद्यतन एवं वैश्विक विकास	10
11	व्यासंग (Hobbies) विकास, पाक कला के मौलिक सिद्धान्त, खान-पान के शिष्टाचार एवं तनाव प्रबंधन	05
योग		100

- सम्पुट विषयों की कक्षाओं का आयोजन इनसे संबंधित सैद्धांतिक कक्षाओं के विषयों के साथ-साथ किया जायेगा। सम्पुट विषयों से संबंधित विशेषज्ञों एवं इन विषयों से संबंधित पदाधिकारियों एवं विभाग को सम्पुटिका अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रक्रियाय व्याख्यान एवं व्यावहारिक प्रदर्शन (Demo) काण्ड अध्ययन (Case study) की व्यवस्था की जायेगी। सम्पुटिका का अध्यापन विषयों के व्यावहारिक महत्व, उपयोगिता एवं कौशल वृत्ति विकास के परिपेक्ष्य में किया जायेगा।

(vi) दैनिक समय सारिणी

अन्तः विषय			वाह्य विषय		
क्र. सं.	समय	कालांश	क्र. सं.	समय	कालांश
1	09.30 से 10.10 बजे तक	प्रथम	1	06.00 से 06.40 बजे तक	प्रथम
2	10.10 से 10.50 बजे तक	द्वितीय	2	06.45 से 07.25 बजे तक	द्वितीय
3	10.50 से 11.30 बजे तक	तृतीय	3	16.00 से 16.45 बजे तक	तृतीय
4	11.30 से 12.10 बजे तक	चतुर्थ	4	16.50 से 17.30 बजे तक	चतुर्थ
5	12.10 से 12.25 बजे तक	मध्यान्तर	5	17.35 से सूर्यास्त	खेल
6	12.25 से 13.05 बजे तक	पंचम	नोट - ऋतु के अनुसार वाह्य विषय समय सारिणी परिवर्तनीय है।		
7	13.05 से 13.45 बजे तक	षष्ठम			

परिशिष्ट-02

प्राचार्य मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश

प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन हेतु 100 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार है -

(अ) 50 अंक प्रशिक्षुओं की अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रशिक्षण में ली गई रुचि, खेल-कूल, विभिन्न गतिविधियों के निर्वहन के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित है -

- i) - **प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर - 35 अंक**
- | | | |
|--|---|--------|
| 1. विशेष योग्यता 75: से उपर अंक प्राप्त करने पर | - | 35 अंक |
| 2. प्रथम श्रेणी 60: से 74.99: तक अंक प्राप्त करने पर | - | 30 अंक |
| 3. द्वितीय श्रेणी 50: से 59.99: तक अंक प्राप्त करने पर | - | 20 अंक |
| 4. तृतीय श्रेणी 40: से 49.99: तक अंक प्राप्त करने पर | - | 10 अंक |
- ii) - **प्रशिक्षण के दौरान खेलों के लिए अधिकतम अंक - 10 अंक**
- iii) - **विशेष गतिविधियों के लिए अधिकतम अंक - 05 अंक**
- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. कक्षा मॉनीटर | - | 05 अंक |
| 2. टोली कमाण्डर | - | 03 अंक |
| 3. मेस मैनेजर | - | 02 अंक |
| 4. सांस्कृतिक गतिविधियाँ | - | 02 अंक |

नोट - कक्षा मॉनीटर, टोली कमाण्डर का चयन मध्यावधि परीक्षा में प्राप्त श्रेष्ठताक्रम के आधार पर किया जायेगा। यदि प्रशिक्षु द्वारा एक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया गया है तो भी उसे अधिकतम 05 अंक ही दिए जायेंगे।

(ब) प्रधानाचार्य के विवेकाधीन शेष 50 अंक प्रशिक्षार्थी के अन्तः एवं बाह्य विषयों के ज्ञान के आंकलन, प्रशिक्षण में ली गई रुचि, अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरस्कार तथा कर्तव्यनिष्ठा इत्यादि को ध्यान में रखकर साक्षात्कार के उपरान्त दिए जायेंगे।

(स) निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंकों में से अधिकतम 25 ऋणात्मक अंक किए जायेंगे।

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश, सिक, रेस्ट, अस्पताल दाखिल 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम | - | 10 अंक |
| 2. गम्भीर अनुशासनहीनता | - | 07 अंक |
| 3. अवज्ञा | - | 05 अंक |
| 4. आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड | - | 02 अंक |
| 5. डिफाल्टर /चेतावनी | - | 01 अंक |

परिशिष्ट-03

परीक्षा एवं मूल्यांकन संक्षेप

1- संस्था स्तर पर छः माह के प्रशिक्षण के पश्चात् अन्तः विषयों एवं बाह्य विषयों की एक 400 अंकों की मध्यावधि परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में 300 अंक की अन्तः विषयों की एवं 100 अंकों की बाह्य विषयों की परीक्षा होगी। अन्तः विषयों में 150 अंक एवं 150 प्रश्न प्रत्येक के दो वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटा होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में छः माह की अवधि तक पढाये गये सम्पूर्ण विषयों के आधे-आधे विषयों का समानुपातिक मिश्रण होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेणी के आधार पर अनुपातिक दर से प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन के अंकों में अधिकतम 45 अंक दिये जायेंगे।

2- पुलिस अकादमी द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तिम परीक्षा आयोजित कराई जायेगी। अन्तः विषयों की अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ 50 प्रतिशत (Objective) तथा 50 प्रतिशत आत्मनिष्ठ (Subjective) प्रकार की होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा को छोड़कर सभी पेपर वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रतिदिन दो प्रश्न पत्र आयोजित कराये जायेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मूल्यांकन अकादमी द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा के समय ही कर लिया जायेगा। इस हेतु अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। यदि प्रशिक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित है, तो भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं हेतु पूर्ण दायित्व अकादमी का होगा।

3- प्रशिक्षण के 12 वें माह में अन्तिम परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसका संक्षेप में निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :-

अन्तकक्षीय परीक्षाएँ	-1400 अंक
बाह्यकक्षीय प्रशिक्षण	-800 अंक
प्रधानाचार्य का आंकलन	-100 अंक
योग	-2300 अंक

4- उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5- उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(अ) परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक का पूरक प्रशिक्षण एवं परीक्षा पुलिस आदेश संख्या-238/93 के अनुरूप करायी जायेगी। प्रशिक्षण/परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी, जिसमें वे अनुत्तीर्ण रहें हो।

(ब) परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जाएगी और बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधान के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट-04

आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं प्रशासन
04A आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका

कालांश-24

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	सामाजिक संरचना एवं अपराध	02
2	एक कल्याणकारी राज्य में आदर्श पुलिस की कार्यशैली	02
3	परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था एवं लोकमत का पुलिस कार्य व्यवस्था पर प्रभाव	02
4	पुलिस से लोगों की आशा एवं पुलिस की भूमिका	04
5	लोक शांति व्यवस्था के संधारण एवं अपराध निरोध तथा उन्मूलन में पुलिस की भूमिका	04
6	आन्तरिक सुरक्षा	02
7	विध्वंसकारी ताकतों से राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को चुनौतियाँ : साम्प्रदायिकता, रुढ़ीवादिता, अतिवाद एवं आतंकवाद के चुनौतियों पर पुलिस की भूमिका	04
8	जातिवाद एवं साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पर पुलिस कार्य एवं भूमिका	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 8 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	24

04B पुलिस संगठन

कालांश-28

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	पुलिस कार्य में केन्द्र सरकार की भूमिका, भारतीय संविधान (अनुच्छेद 246 एवं 355) परिच्छेद VII (सूची-1, प्रविष्टि 8 एवं 65)	02
2	केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं संस्थान : कार्यशैली एवं लक्ष्य	01
3	आई0बी0	01
4	सी0बी0आई0 (दिल्ली स्पेशल पुलिस) एन0सी0बी0-इन्टरपोल	02
5	बी0पी0आर0 एण्ड डी0	01
6	सी0आर0पी0एफ0	01
7	बी0एस0एफ0	01
8	आई0टी0बी0पी0	01
9	आर0पी0एफ0	01
10	सी0आई0एस0एफ0	01
11	पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र - SVPNPA, CDTS etc.	01
12	सेन्ट्रल फोरेंसिक साइन्स लैबोरेटरी संस्थान - (CFPB) - ICFS संदिग्ध अभिलेखों का सरकारी परीक्षण का कार्यालय	02
13	पुलिस वित्तु एवं कम्प्यूटर	01
14	एन0एस0जी0	01
15	एस0पी0जी0	01
16	एन0आई0ए0	01
17	एन0सी0आर0बी0	01
18	इंडियन आर्म्स फोर्स - टेरिटरियल आर्मी एवं एन0सी0सी0 सहित	01
19	आर्म्स फोर्स एवं सिविल प्रशासन	02
20	नागरिक सुरक्षा व्यवस्था	01
21	सामूहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 20 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	28

04C राज्य पुलिस व्यवस्था

कालांश-30

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडलीय प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस	02
2	पुलिस विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों, संस्थानों से प्रशासनिक स्तर पर संबंध	02
3	राज्य पुलिस संगठन एवं व्यवस्था	01
4	विभिन्न स्तर पर पुलिस संरचना एवं इसकी भूमिका	04
4.1	राज्य पुलिस मुख्यालय	
4.2	प्रक्षेत्र व्यवस्था	
4.3	जिला/कमिश्नरी	
4.4	अनुमंडल/सर्किल	
4.5	पुलिस थाना	
4.6	रिजर्व पुलिस केन्द्र	
4.7	ग्रामीण पुलिस	
5	स्पेशल यूनिट का संगठन एवं कार्य	05
5.1	इन्टेलिजेंस विभाग/स्पेशल ब्रांच	
5.2	महिला पुलिस बल	
5.3	विशेष सशस्त्र बल	
5.4	घुडसवारी बल	
5.5	पुलिस वितंतु	
5.6	फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी	
5.7	पुलिस यातायात	
5.8	राज्य पुलिस कम्प्यूटर विभाग	
5.9	अपराध अनुसंधान विभाग एवं एस0सी0आर0बी0	
5.10	गृहरक्षा वाहिनी	
5.11	ग्राम रक्षा दल	
6	राज्य पुलिस मैनुयल	10
7	अभियोजन पदाधिकारी एवं पुलिस से इनका संबंध	02
8	सामूहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	02
	जांच परीक्षा कम संख्या 1 से 7 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	30

04D पुलिस प्रशासन

कालांश-34

अंक-25

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	1.1 पुलिस एक्ट (1861, 1888, 1949 एवं स्थानीय पुलिस एक्ट)	04
	1.2 पुलिस बल एक्ट 1966	01
	1.3 पुलिस एक्ट 1922	01
	1.4 स्थानीय पुलिस एक्ट	02
2	ज़िला एवं अनुमण्डल पुलिस कार्यालय-प्रशासन	02
3	संधारण : लेखा, बजट, कपडा भण्डार, उपस्कर भण्डार, आग्नेयास्त्र एवं कारतूस भण्डार	02
4	आन्तरिक प्रशासन : बहाली प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के पुरस्कार, सजा, अनुशासन, नैतिक मूल्य एवं शास्तिका कक्ष की शक्तियाँ	04
5	अनुशासन एवं अपील नियम	02
6	विभागीय जाँच करने का तरीका	02
7	रैंक, बजट, क्लोदिंग किट, उपस्कर, आग्नेयास्त्र एवं कारतूस	01
8	वेतन एवं भत्ता	03
9	स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति नोति	
10	पुरस्कार एवं सज्जा (Decoration)	
11	अवकाश नियम	
12	चिकित्सा सुविधा एवं इसका प्रतिपूर्ति	
13	सेवा निवृत्ति लाभ	
14	सेवा अभिलेखों का संधारण	
15	सेवा संहिता	02
16	पुलिस कल्याण : आवास एवं पारिवारिक देख-भाल	01
17	सामूहिक मॉग : पुलिस एसोशिएशन की भूमिका	01
18	पुलिस थाना का पर्यवेक्षण : निरीक्षण	03
19	पुलिस केन्द्र, पुलिस आवास कॉलनियों का निरीक्षण	01
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 19 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	34

परिशिष्ट-05

भारतीय संविधान, मानवाधिकार, विधि शास्त्र

05 A भारतीय संविधान

कालांश-12

अंक-20

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अनुच्छेद - 12 से 14 तक	02
2	अनुच्छेद - 19 से 22, 25	02
3	अनुच्छेद - 32 से 33	02
4	अनुच्छेद - 105, 194	02
5	अनुच्छेद - 308, 309, 311	02
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 5 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	12

05 B पुलिस एवं मानवाधिकार

कालांश-18

अंक-15

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	मानवाधिकारों की आधारणा एवं इसका महत्व	02
2	मानवाधिकारों की सर्वभौमिक उद्घोषणा 1948	02
3	राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग	02
4	मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश	02
5	मानवाधिकार के संबंध में पुलिस के विरुद्ध सामान्य शिकायतें (केस स्टडी)	02
6	पुलिस अभिरक्षा में अपराधियों के साथ पुलिस का व्यवहार	02
7	पुलिस अभिरक्षा में पुलिस द्वारा सामान्यतः किए जानेवाले मानवाधिकारों का उल्लंघन	02
8	सामुहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	02
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 7 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	18

05 C विधि शास्त्र एवं विधिक अवधारणा

कालांश-14

अंक-15

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	विधि शास्त्र की परिभाषा, विधि शास्त्र की अवधारणा, विधि के सिद्धांत, न्याय की अवधारणा एवं नैसर्गिक न्याय	04
2	न्याय के सिद्धांत - न्यायिक व्यवस्था एवं सिविल एवं अपराधिक न्यायिक प्रणाली	02
3	न्यायिक अवधारणा :- मनसरिया, बर्डन ऑफ प्रूफ, बेनिफिट ऑफ डाउट, एभिडेन्स एवं प्रूफ	02
4	अपराधीक न्याय प्रशासन में जाँच अधिकारी एवं अभियोजकीय प्रणाली	02
5	संविधि की व्याख्या (Interpretation of Statues)	02
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 5 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	14

परिशिष्ट-06
भारतीय दण्ड संहिता

कालांश-98

अंक-100

क. सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अध्याय 1-प्रस्तावना एवं अपराध की अवधारणा धारा 1 से 5	02
2	अध्याय 2-सामान्य व्याख्यायें धारा 10, 14, 21 से 30, 34, 44, 54, 52, 52ए	04
3	अध्याय 3-दण्ड धारा 53, 75	02
4	अध्याय 4-साधारण अपवाद धारा 76 से 106	02
5	अध्याय 5-दुष्करण एवं आपराधिक षडयन्त्र धारा 107 से 109, 114	02
6	अध्याय 5-(क)-अपराधिक षडयन्त्र 120ए, 120बी	02
7	अध्याय 6-राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 121 से 124, 124ए	02
8	अध्याय 7-आर्मी, नेवी एवं एयर फोर्स से सम्बन्धित अपराध धारा 136, 140	02
9	अध्याय 8-लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 149, 151, 153ए, 153बी, 159, 160	03
10	अध्याय 9-लोक सेवकों से सम्बन्धित अपराध धारा 166, 166क(संशोधित) 170, 170	04
11	अध्याय 9-(क)-निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 171ए, बी, सी, डी, ई	02
12	अध्याय 10-लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 174, 174क, 182 से 188	04
13	अध्याय 11-झूठा साक्ष्य, व्यक्तियों एवं न्याय के विरुद्ध अपराध धारा 191 से 193, 195क, 196, 201, 211, 212, 216, 216ए, 218, 223 से 225, 227, 228, 228ए, 229ए	05
14	अध्याय 12-सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्प से सम्बन्धित अपराध धारा 255 से 260, 263क	02
15	अध्याय 13-अध्याय 13 शून्य (बाट-माप से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है)	01
16	अध्याय 14-लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालनेवाले अपराध धारा 268 से 270, 272 से 276, 277, 278, 279, 283, 285, 289, 292, 293, 294	05
17	अध्याय 15-धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 295, 295क, 296, 297, 298	02
18	अध्याय 16-मानव शरीर पर प्रभाव डालनेवाले अपराध धारा 299 से 304, 304ए-बी, 306, 307, 308, 309, 313, 315, 317, 318, 319 से 326, 326क, 328, 330 से 333, 336 से 338, 339 से 342, 349 से 354, 354 ए, बी, सी, डी, (संशोधित), 356, 359 से 364, 364ए, 365, 366, 368, 370क, (संशोधित), 375, 376, 376 ए, बी, सी, डी (संशोधित) 377	20
19	अध्याय 17-सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध सम्पत्ति के न्यास भंग से सम्बन्धित अपराध छल, रिष्टि से संबंधित अपराध धारा 378 से 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 से 397, 398, 399, 401, 402, 405, 406 से 406, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 420, 425, 429, 430, 435, 436, 441 से 460	20
20	अध्याय 18-अभिलेखों, सम्पत्ति चिन्हों से सम्बन्धित अपराध एवं मुद्रा का कूटकरण धारा 463 से 465, 467, 468, 470, 471, 477क, 489 ए, बी, सी, डी, ई	05
21	अध्याय 19-अध्याय 19 शून्य (सेवा संविदाओं से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है।)	01
22	अध्याय 20-विवाह से सम्बन्धित अपराध धारा 494, 495, 497, 498	02
23	अध्याय 20-(क)-पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में धारा 498ए	01
24	अध्याय 21-मान हानि के विषय में धारा 499	01
25	अध्याय 22-आपराधिक अभिप्रास, अपमान एवं अपराध कारित करने के प्रयास धारा 503, 509	01
26	अध्याय 23-अपराधों के करने के प्रयत्न में धारा 511	01

परिशिष्ट-07
दण्ड प्रक्रिया संहिता

कालांश-98

अंक-100

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अध्याय 1-प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1, 2 ए, बी, सी, डी, जी, एच, आई, के, एल, ओ, आर, एस, डब्ल्यू, एक्स, डब्ल्यूए	02
2	अध्याय 2-आपराधिक न्यायालय एवं अभियोजन इकाई धारा 6,9,11,12,13,20,21,24,25,25क	04
3	अध्याय 3-न्यायालय की शक्ति धारा 26, 28, 29, 30	02
4	अध्याय 4-पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ धारा 36 से 40	02
5	अध्याय 5-व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चिकित्सीय परीक्षण आदि 41 से 60 (गिरफ्तारी के संबंध में अद्यतन संशोधन सहित एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु एवं अन्य मामलों में गिरफ्तारी से सम्बन्धित निर्गत निर्देश)	04
6	अध्याय 6-उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 61 से 90	02
7	अध्याय 7-वस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 91,93 से 95,97,98,100,102,105	04
8	अध्याय 8-परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा 106 से 166	02
9	अध्याय 9-अध्याय 9 शून्य(भरण-पोषण से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।)	02
10	अध्याय 10-लोक व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखना न्यूसेन्स हटाना धारा 129 से 132,, 133, 144, 145	04
11	अध्याय 11-पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही धारा 149 से 151	02
12	अध्याय 12-पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियाँ धारा 154 से 176 (अद्यतन संशोधन सहित)	02
13	अध्याय 13-न्यायालयों की अधिकारिताधारा 177 से 183	01
14	अध्याय 14-आपराधिक कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें धारा 190, 195, 195क से 199	02
15	अध्याय 15-मजिस्ट्रेट से परिवाद धारा 200, 202	02
16	अध्याय 16-मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही का प्रारम्भ धारा 204, 209	02
17	अध्याय 17-आरोप धारा 218, 219	02
18	अध्याय 18-18, 19, 20 एवं 21 शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।)	04
19	अध्याय 21-(क)-प्ली बार्गेनिंग धारा 265क से 265घ	02
20	अध्याय 22-कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के विषय में धारा 267 से 270	02
21	अध्याय 23-जांचों व विचारण में साक्ष्य से सम्बन्धित धारा 299	01
22	अध्याय 24-जांचों व विचारण के बारे में सामान्य प्रावधान धारा 306, 309	02
23	अध्याय 25-विकृत चित्त अभियुक्तों के बारे में धारा शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं)	02
24	अध्याय 26-न्याय प्रशासन पर प्रभव डालने वाले अपराधों के बारे में धारा 345, 350	02
25	अध्याय 27-निर्णय धारा 360	01
26	अध्याय 28-मृत्यु दण्डादेश के बारे में धारा शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।)	02
27	अध्याय 29-अपीलें धारा 377, 378	02
28	अध्याय 30-30, 31 एवं 32 पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।	02
29	अध्याय 33-जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 436, 436क, 437क से 441	04
30	अध्याय 34-सम्पत्ति का निस्तारण धारा 456 से 459	02
31	अध्याय 35-पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।	00
32	अध्याय 36-विविध धारा 468, 473	02
33	अध्याय 37-प्रकीर्ण धारा 482 एवं परिशिष्ट 1 एवं 2 की जानकारी।	02

- 1- नंदिनी सम्पत्ति बनाम पी0एल0 दानी राज्य 1976 एससीसी पृष्ठ 424 अनुसंधानकर्ता के कर्तव्य अनुसंधान पदाधिकारी किसी अभियुक्त/संदिग्ध पर शारीरिक/मानसिक एवं अन्य दबाव नहीं डलेगा एवं हिरासत के दौरान अभियुक्त विधिक सहायता हेतु विधि परामर्शी को बुला सकता है।
- 2- भगवंत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर 1985 एससीसी 246 (उच्चतम न्यायालय) एससीसी 2011 पृष्ठ 719 उच्चतम न्यायालय अन्तिम रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट लगाये जाने के उपरान्त उसे न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्टकर्ता का पक्ष सुने, स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यह तथ्य इन विधि व्यवस्थाओं में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 3- जसबन्त व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एससीसी 1994(31) पृष्ठ 425 मुल्जिम पक्ष द्वारा जमानत के समय वादी पक्ष के गवाहों के शपथ पत्र मान्य नहीं है।
- 4- रघुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश(ए0आई0आर0 1995 पृष्ठ 216 उच्च न्यायालय इलाहाबाद) यदि थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी है तो उसका अधीनस्थ अ0नि0 इस वाद की अनुसंधान नहीं कर सकता है।
- 5- योगेन्द्र नाहक बनाम उड़ीसा राज्य (ए0आई0आर0 1999 च्वतम न्यायालय पृष्ठ 2565)।
- 6- बाल चन्द्रन बनाम केरल राज्य (द्र0नि0पा0 पृष्ठ 2) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है और वह इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता कि उसे यह सूचना उपर्युक्त या विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रहा है।
- 7- राजस्थान राज्य बनाम एन0के0 एससीसी 2000 पृष्ठ 30 प्रथम सूचना में देरी प्राथमिकी दर्ज करने में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।
- 8- उ0प्र0 राज्य बनाम सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि एससीसी 2001 पृष्ठ 726 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) विधि विरुद्ध कब्जा विधि विरुद्ध अधिपत्य यदि मान्य है तब उसे संपत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नहीं निकाला जा सकता है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है।
- 9- सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम0नि0प0 2003 पृष्ठ 338) पुलिस द्वारा अभिगृहित वस्तुओं को अनावश्यक रूप से या दीर्घावधि तक पुलिस थानों में नहीं पडे रहने देना चाहिए।
- 10- किशन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एससीसी 2006 पृष्ठ 1015) यद्यपि न्यायालय द्वारा अन्वेषण के प्रक्रम पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है तथापि समान रूप से ये भी सही है कि अन्वेषण अभिकर्ता को किसी समय सीमा के बिना अन्वेषण के निष्कर्ष को देर तक रोके रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
- 11- रीमा अग्रवाल बनाम अनुप 2004 सीआरएलजे 872 (एस0सी0) विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण में धारा 304 बी के प्राविधान लागू होंगे।
- 12- विश्वनाथ बनाम जम्मू काश्मीर राज्य एआईआर 1983 (एससी)174 अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है।
- 13- बृज लालभर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006(55) एससीसी 864 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) यदि मामला थाने पर असंज्ञेय के रूप में दर्ज होता है और बाद में संज्ञेय मामलें की साक्ष्य प्राप्त होती है तो अनुसंधान करनेवाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से अनुसंधान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

- 14- महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी0 नियोगी 1999 कि0लॉ0 ज0 4305 (एससी) अभियुक्त द्वारा अपराध की कमाई से बैंक में जमा किया गया धन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अन्तर्गत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। अनुसंधान को अन्वेषण के दौरान ऐसे व्यक्ति का बैंक एकाउन्ट सीज करने व परिचालन बन्द करने का निर्देश बैंक अधिकारी को देने का अधिकार है।
- 15- शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य 2011 (75) एसीसी 763 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) 7 वर्ष तक की सजा के अपराधों में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 41 में दर्शाये गये आधारों का अनुपालन करना चाहिए।
- 16- अनीमी रेड्डी बैंकटरामन्ना बनाम पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एचसी ऑफ एपी 2008(61) एसीसी 703एससी यदि पुलिस अधिकारी को संगीन अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो बिना औपचारिक एफआईआरदर्ज किये उसका कर्त्तव्य है कि वह मौके पर जाकर धायलों की सुरक्षा प्रदान करें।
- उद्देश्य यह है कि अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उन सुसंगत उपबन्धों से सज्जित कर दिया जाये, जिन्हें उसे अन्वेषण अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य के निर्वहन और न्यायालय एवं अभियोजन इकाई को न्यायिक कार्यवाहियों के मध्य सहायता प्रदान करते समय प्रयोग में जाना होता है।

परिशिष्ट-08
साक्ष्य अधिनियम

कालांश-32

अंक-50

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अध्याय 1-प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 से 3	02
2	अध्याय 2-तथ्यों की सुसंगतता धारा 5 से 11, 14, 15, - स्वीकृतियाँ 17, 24 से 30, -मृत्युकालिक कथन धारा 32, 32(1) -विशेषज्ञ की राय धारा 45, 45क, 47, 47क, 48	04
6	अध्याय 3-पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।	00
7	अध्याय 4-मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 59, 60	02
8	अध्याय 5-अभिलेखीय साक्ष्य धारा 61, 62, 63 65क, 65ख, 67, 67क, 73क	02
9	अध्याय 6- पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।	00
10	अध्याय 7-शील की सुसंगतता धारा 51, 53, 54, 61	02
11	अध्याय 9-सार्वजनिक एवं निजी अभिलेख धारा 73, 74, 75, 76	02
12	अध्याय 10-साक्ष्य का भार धारा 101 से 110	02
13	अध्याय 11-उपधारणा धारा 113ए, 13बी, 114ए	02
14	अध्याय 12-साक्षीगण धारा 118, 119	01
15	अध्याय 13-विशेषाधिकार पूर्ण संसूचना धारा 122 से 126	02
16	अध्याय 14-सह अपराधी धारा 133, 134	01
17	अध्याय 15-साक्षीगण का परीक्षण धारा 137, 138, 139, 141, 145, 146, 154, 155, 157, 159, 160 से 165	02

(18) केस लॉ

08 कालांश

- सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली राज्य) एसीसी 2001 पृष्ठ 223 (उच्चतम न्यायालय) धारा 27 सा0अधि0 की बरामदगी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गई बरामदगी इस कारण अविश्वसनीय नहीं होगी कि अभिलेखों पर निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस ने नहीं कराये।
 - राजस्थान राज्य बनाम हनुमान एसीसी 2001 पृष्ठ 351 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन यदि घटना को साक्षी परिवारजन ही है तब भी उनकी साक्ष्य की ग्राह्यता कितनी होगी, इस विधि व्यवस्था में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश डाला गया।
 - उकराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन मा0सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।
 - निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 (उच्चतम न्यायालय) परिस्थितिजन्य साक्ष्य मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।
- विभिन्न केस लॉ के संबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों की जानकारी एवं ज्ञान।
- उद्देश्य यह है कि अधिकारी साक्ष्यों की प्रकृति और न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता समझ सके। विषय के अध्ययन में स्पष्टीकरण एवं उदाहरणों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि अधिकारी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात मामले से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करने के योग्य हो सके।

परिशिष्ट-09
स्थानीय एवं विशेष कानून

✓ SC/ST/Minorities
children case
P119

कालांश-68

अंक-75

केन्द्र के प्रमुख अधिनियम

क्र. सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	01
2	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986	01
6	न्यूनतम मजदूरी (वेतन) अधिनियम, 1948	01
7	बन्धित श्रम व्यवस्था (उन्मूलन), अधिनियम, 1976 धारा 2 से 9, 22	01
8	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	01
9	विद्युत अधिनियम-2003 धारा 135 से 157 तक	01
10	भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989	01
11	पुलिस अधिनियम, 2007	01
12	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966	01
13	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1992	01
14	शासकीय गोपनीयता अधिनियम	01
15	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	01
16	राष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी अधिनियम (एन0आई0ए0एक्ट)	01
17	न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971	01
18	किशोर न्याय(बालको की देख रेख एवं संरक्षण)अधिनियम, 2000 तथा संशोधित अधिनियम 2006 (किशोर उपचार विषय हेतु)	01
19	प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट, 1958 (दण्ड विज्ञान विषय हेतु)	01
20	अनैतिक व्यापार (निवारण), अधिनियम, 1956 (दुर्गुण विषय हेतु) तथा अधिनियम 1986	01
21	स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61 वाँ) (दुर्गुण विषय हेतु)	01
22	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (धूस एवं भ्रष्टाचार विषय हेतु)	01
23	आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932	01
24	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1985 (महिलाओं के विरुद्ध अपराध विषय हेतु)	01
25	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005	01
26	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम 2015	01
27	शस्त्र अधिनियम, 1959	01
28	विस्फोटक अधिनियम, 1884 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)	01
29	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)	01
30	विधि विरुद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	01
31	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 सम्पूर्ण	01
32	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972	01
33	मोटर वाहन अधिनियम, 1988	01
34	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	01
35	सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम, 1984(भीड़ एवं अवैध समूह विषय हेतु)	01
36	रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 सम्पूर्ण	01
37	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957(कॉपी राइट एक्ट) धारा 2,3,14,52ए,63, 63क, 64,65,68क	01
38	चलचित्र अधिनियम 1952-धारा 2, 5क, 6क, 7, 10, 11, 13, 14	01

39	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-सम्पूर्ण	01
40	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000-सम्पूर्ण तथा संशोधित अधिनियम 2008	01
41	राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971-सम्पूर्ण	01
42	मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994-सम्पूर्ण	01
43	धन शोधन अधिनियम-2002	01
44	गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग यचन प्रतिषेध) अधिनियम 1994	01
45	राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1966-धारा 2, 3, 5, 6, 8	01
46	बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम-2012	01
47	गर्भ का विकिर्त्सीय समापन अधिनियम-1971	01
48	महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध अधिनियम-1986)	01
49	आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955	01
50	विदेशी विषयक अधिनियम-1946	01

राज्य के प्रमुख अधिनियम

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	बिहार पुलिस अधिनियम, 2007	01
2	पुलिस अधिनियम, 1861, 1888, 1949	01
3	बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981	01
4	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993	01
5	बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981	01
6	बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वाहन नियंत्रण अधिनियम, 1956	01
7	बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976	01
8	बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2006	01
9	डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1999	01
10	दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975	01
11	बिहार सामूहिक जुर्माना (अधिरोपण) अधिनियम, 1982	01
12	बिहार धुम्रपान प्रतिषेध (प्रदर्शन गृह) अधिनियम, 1954	01
13	बिहार सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954	01
14	बंगाल सार्वजनिक द्युत (जुआ) अधिनियम, 1867	01
15	दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1976, 1983, 1984	01
16	नवीन बिहार उत्पाद अधिनियम 2015 तथा 2016	01
17	बिहार आवश्यक सेवाएँ बनाए रखने का अधिनियम, 1947	01
18	ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870	01

परिशिष्ट-10
अपराध शास्त्र

कालांश-42

अंक-50

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अपराध शास्त्र की अवधारणाएँ	01
2	अपराध के कारक	01
2.1	मनोवैज्ञानिक	02
2.2	सामाजिक	02
2.3	आर्थिक	02
2.4	राजनैतिक	02
2.5	धार्मिक	02
3	विचलन एवं अपचार	02
3.1	व्यक्तिक विचलन	02
3.2	सामुहिक विचलन : संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध	02
3.3	प्राधिकरण का सामुहिक रक्षा एवं नियम	02
3.4	बाल अपराध : प्रकार एवं कारण	02
3.5	सामाजिक दुर्गुण : जुआखोरी, शराबखोरी, वेश्यागमन, नशाखोरी	02
3.6	पेशेवर अपराधी	02
4	उभरते अपराधिक प्रवृत्ति	02
5	दण्डशास्त्र	01
5.1	दण्डशास्त्र की अवधारणा	02
5.2	दण्डशास्त्र : दण्ड की व्यवस्था कारा सहित	02
5.3	अपराधियों के सुधार एवं पुर्नवास के उपाय	02
5.4	पैरोल, परिवीक्षा एवं सुधारगृह की व्यवस्था	02
5.5	आदतन अपराधियों के सुधार के उपाय	02
6	दण्ड व्यवस्था	00
6.1	अवधारणा एवं लक्ष्य	01
6.2	अपराध न्याय प्रणाली एवं अपराधी	02
6.3	समाज सुधार में निहित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ	01
	सम्पूर्ण कालांश का योग	42

परिशिष्ट-11
अपराध नियंत्रण, निगरानी एवं आसूचना संकलन
11 A बीट एवं गश्त

कालांश-22

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अपराध निरोध की अवधारणा : तकनीकें एवं रणनीतियाँ	02
2	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बीट पद्धति	04
3	अपराध बीट : योजना एवं फैलाव (Deployment)	03
4	गश्ती एवं पीकेट	02
5	बीट पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण	02
6	अपराध की रोकथाम	02
7	अपराध निरोध तरीकों का पर्यवेक्षण एवं उपलब्ध संसाधनों का आकलन	02
8	डकैती एवं लूट घटनाओं का रोकथाम	02
9	संगठित अपराध पर नियंत्रण	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 9 तक	01
	सम्पूर्ण कालांश का योग	22

11 B निगरानी एवं आसूचना संकलन

कालांश-20

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	निगरानी : आवश्यकता एवं लक्ष्य	02
2	निगरानी के तकनीकें	02
3	सम्पत्ति मूलक अपराधियों की निगरानी	02
4	असामाजिक तत्वों की निगरानी	02
5	संदिग्धों एवं विदेशियों की निगरानी	02
6	निगरानी रखने हेतु उपकरणों से परिचय	02
7	आसूचना संकलन के एकत्रिकरण की कला	02
8	सम्पत्ति मूलक अपराधों का आसूचना संकलन	02
9	असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आसूचना संकलन	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 9 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	20

11 C अपराध एवं आपराधिक अभिलेख

कालांश-26

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अपराध एवं आपराधिक अभिलेखों का महत्व	02
2	अपराध एवं आपराधिक अभिलेखों का प्रकार	04
3	अपराधों के रोकथाम एवं उदभेदन में आपराधिक अभिलेखों की उपयोगिता एवं विश्लेषण	04
4	अपराधिक अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का महत्व	10
5	लोक शांति व्यवस्था एवं यातायात के संधारण से संबंधित अभिलेख	02
6	अभिलेखों का निरीक्षण, छटनीकरण एवं योजना	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 6 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	26

परिशिष्ट-12

लोक शांति व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन
12 A लोक शांति व्यवस्था का संधारण

कालांश-45

अंक-50

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	लोक शांति व्यवस्था के संधारण का महत्व एवं अवधारणाएँ	02
2	भीड़ नियंत्रण के सिद्धांत एवं इससे निपटने का तरीका, निरोधात्मक उपाय, आसूचना संग्रह, भीड़ के मनोविज्ञान एवं व्यवहार की समीक्षा, परामर्श एवं मध्यस्थता	05
3	बल प्रयोग एवं फायरिंग	02
4	दंगा एवं दंगाशेधी योजनाएँ	02
5	बृहद स्थिति का बन्दोबस्त एवं बन्दोबस्ती योजनाएँ	02
6	बलों की प्रतिनियुक्ति एवं गमनागमन (Mobilisation & deployment)	02
7	साम्प्रदायिक नियंत्रण : जाँच एवं पर्यवेक्षण	02
8	पारामिलिट्री बलों की प्रतिनियुक्ति	02
9	साम्प्रदायिक समस्या से निबटना	03
10	आतंकवाद एवं उग्रवाद से निबटना	03
11	संगठित अपराधियों से निबटना	03
12	विधि व्यवस्था से संबंधित अभिलेख	02
13	असामाजिक तत्वों से संबंधित अभिलेख	02
14	विधि व्यवस्था बीट, गश्ती, पिकेट्स	02
15	असामाजिक तत्वों की निगरानी एवं नियंत्रण	02
16	अभिलेखों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विश्लेषण (Records & infrastructure)	02
17	अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	04
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 17 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	45

12 B यातायात प्रबंधन

कालांश-22

अंक-20

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	यातायात प्रबंधन के सिद्धांत एवं नियंत्रण	02
2	यातायात नियम : नियंत्रण एवं प्रवर्तन (Regulation & Enforcement)	02
3	यातायात यांत्रिकी (Traffic Engineering)	02
4	अन्य संस्थानों से समन्वय	02
5	यातायात शिक्षा एवं जागरूकता	02
6	यातायात बीट एवं गश्ती	02
7	यातायात सर्वे	02
8	यातायात से संबंधित अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का महत्व	02
9	अभिधात एवं देखभाल (Trauma care)	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 9 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	20

12 C सुरक्षा

कालांश-22

अंक-20

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत	02
2	असुरक्षा का आकलन (Threat perception)	02
3	सुरक्षा एवं गार्ड के कर्तव्य	02
4	भी0आई0पी0 सुरक्षा एवं बन्दोबस्ती योजना	01
5	असुरक्षा के आंकलित व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था	02
6	सुरक्षा व्यवस्था की योजना एवं बल प्रतिनियुक्ति	02
7	महत्वपूर्ण षण्यंत्रों की सुरक्षा (Vital installation)	02
8	विदेशियों का संजीकण एवं देखभाल	02
9	अभिलेखों एवं आसूचना की सुरक्षा	03
10	सामूहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 9 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	22

12 D आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य

कालांश-10

अंक-10

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	आपातकाल : चकवाती तुफान, बाढ़, भूकम्प	01
2	रणनीति एवं प्रतिक्रिया (Strategies and response)	02
3	सड़क, रेल, वायुयान दुर्घटना एवं पुलिस	01
4	अग्नि दुर्घटना : कारण, रोकथाम, बचाव एवं इभैकुएशन (Evacuation)	01
5	आपदाओं के समय अन्य विभाग से सामंजस्य	01
6	आवश्यक सेवाएँ एवं राहत कार्य की योजना	01
7	राहत, बचाव कार्य के योजना एवं क्रियान्वयन	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 7 तक	01
	सम्पूर्ण कालांश का योग	10

परिशिष्ट-13
अनुसंधान एवं विचारण
13.A अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण

कालांश-50

अंक-50

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	काण्डों के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की भूमिका	02
2	प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का पंजीकरण एवं इसका महत्व	03
3	घटनास्थल का निरीक्षण इसकी सुरक्षा एवं नक्सा तैयार करना	03
4	साक्ष्य एकत्र करना एवं विशेषज्ञों की मदद लेना	03
5	सम्पत्ति की बरामदगी हेतु खोज	04
6	अनुसंधान के साधारण सिद्धांत, अनुसंधानकर्ता के गुण, अनुसंधान के दौरान समन्वय	02
7	अनुसंधान में आसूचना की भूमिका	02
8	साक्षियों से पूछताछ, व्यान दर्ज करना, काण्ड दैनिकी	04
9	संदिग्ध एवं अपराधियों से पूछताछ करना	02
10	अभियुक्तों की गिरफ्तारी, रिमाण्ड एवं जमानत की प्रक्रिया	02
11	पहचान परेड एवं इसका महत्व	02
12	अनुसंधान में दूसरे थाना से पूछताछ एवं समन्वय	02
13	शरीर के विरुद्ध अपराध का अनुसंधान (Offences against Body)	03
14	सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध का अनुसंधान (Offences against Property)	04
15	सड़क दुर्घटना का अनुसंधान	02
16	श्वेतव्यसन (White collar) अपराध का अनुसंधान	04
17	जाली दस्तावेज एवं सिक्का संबंधी काण्ड का अनुसंधान	02
18	अनुसंधान की निगरानी एवं प्रगति	02
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 18 तक	50
	सम्पूर्ण कालांश का योग	10

13.B विधि विज्ञान

कालांश-41

अंक-40

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	विधि विज्ञान एवं काण्डों के अनुसंधान में इसका महत्व	02
2	विधि विज्ञान के कार्य के क्षेत्र में संभावनाएँ	02
3	घटनास्थल का दृश्य इसका रक्षण एवं परीक्षण	02
4	भौतिक साक्ष्यों (Physical Evidence) को एकत्रित करना	02
5	अंगुलांक	02
6	हथेली की छाप	01
7	पदछाप	01
8	पहचानना : बाल, रेशा, डायटम, परागकण, पत्ती, बीज (Identification use and Examination of Hair, Fibers, Diatoms, Pollen, Leaves, Seeds etc.)	02
9	पहचानना : खून, खून के घब्ले, उत्तक, हड्डी, लार इत्यादी (Identification use and Examination of Blood, Bloodstain, Tissues, Bones & Saliva etc.)	02
10	मिट्टी, धूल एवं कपतज	02
11	शीशा एवं पेन्ट, तिल्लि, खपच्ची एवं Sneer	02

12	शराब, ताड़ी, मादक पदार्थ, स्वापक द्रव्य, पौधे एवं इनके उत्पाद	02
13	पेट्रोल, डीजल, कास्मेटिक, सिमेंट, विस्फोटक पदार्थ, फायर रेजिड्यू (Residues), विस्फोटन का रेजिड्यू (Residues)	02
14	आग्नेयास्त्र, कारतूस, बुलेट, पिलेट, वेड एवं वैसे पदार्थ जो फायरिंग को प्रभावित करते हैं	02
15	मानव खोपड़ी, त्वचा, उत्तक एवं फोटोग्राफी	02
16	अल्कोहल, जहर एवं जहरीला पदार्थ	02
17	अभिलेख : समस्या एवं सिद्धांत, जालसाजी, मिटायेजाना, हस्तलेख, परिवर्तन किया जाना, जोडा जाना, विलुप्त किया जाना, टंकित लेख, प्रिन्टेड लेख, कार्बन कॉपी, जिराक्स कॉपी, पेपर पर स्याही (Handwriting, Erasers/obliteration, Alteration, Overwriting, Secret Writing, Type Writing, Stamp Impression, Carbon copies, Xerox Copies etc.)	02
18	शर्वा का पहचान	02
19	विधि विज्ञान के सहायक उपकरण—कम्प्यूटराईज्ड पॉलीग्राफ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैस क्रोमोग्राफ मास्क स्पेक्ट्रम के सहित, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हाई प्रेसर लिक्विड क्रोमोग्राफ, हाई परफॉर्मंस थिन लेयर क्रोमोग्राफ, कम्प्यूटराईज्ड भॉयस एनालाइजर, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम	03
20	स्कीड मार्क एवं टायर मार्क	02
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 20 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	41

13.C विधि औषधि

कालांश-22

अंक-30

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	विधि औषधी के क्षेत्र एवं महत्व	02
2	मेडिको लीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटनास्थल का निरीक्षण	02
3	हत्या, आत्म हत्या एवं दुर्घटना एवं स्वभाविक मृत्यु का मेडिको लीगल दृष्टिकोण	02
4	श्वांसावरोध, फाँसी लगाकर मृत्यु, दम घुटने, गला दबाकर एवं डुबने से मृत्यु	02
5	मृत्यु के कारण	02
6	मृत्यु के समय का अनुमान एवं निर्धारण	02
7	घाव का वर्गीकरण	02
8	यौन अपराधों का मेडिको लीगल दृष्टिकोण से ज्ञान	02
9	जहर में रसायनिक पदार्थों का मेडिको लीगल दृष्टिकोण से ज्ञान	02
10	आग्नेयास्त्र से घाव एवं मृत्यु का मेडिको लीगल दृष्टिकोण से ज्ञान	01
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 20 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	22

13.D विचारण एवं न्यायालय प्रबंधन

कालांश-23

अंक-30

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	काण्डों के विचारण का महत्व	02
2	न्यायालय के प्रकार एवं कोर्ट प्रक्रिया	02
3	आरोप पत्र	02
4	कोर्ट कैलेण्डर	01
5	कार्य एवं स्थगन (Call work and adjournment)	01
6	गवाहों को पेश करना	01
7	अभियुक्त की रिमाण्ड एवं पहचान परेड की आख्या	02
8	अभियोजन से सम्बन्ध	01
9	सम्मन एवं वारंट का तामिला	01
10	अभियोजन से संबंधित अभिलेख	03
11	विचारण हेतु लंबित काण्डों का रिव्यू एवं विश्लेषण	02
12	निर्णय एवं उसकी प्रति प्राप्त करना	01
13	अपील एवं अपील की कार्रवाई	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 13 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	23

परिशिष्ट - 14.
संबंध प्रबंधन एवं मानव व्यवहार
14.A संबंध प्रबंधन

कालांश-23

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	संबंध (Relationship) के गत्यात्मकता (Dynamic)	02
2	संबंध (Relationship) प्रबंधन में व्यक्ति एवं व्यक्तित्व का महत्व	02
3	संबंध (Relationship) बनाने में मानव व्यवहार एवं नम्रता (Etiquette) का महत्व ✓	01
4	संबंध (Relationship) प्रबंधन में संवाद सम्प्रेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण ✓	02
5	अन्तः विभागीय संबंध का प्रबंधन	02
6	पुलिस बल में व्यक्तिगत संबंध के प्रबंधन में पर्यवेक्षण पुलिस पदाधिकारी की भूमिका	03
7	पुलिस कार्य में छवि निर्माण संबंध (Image Building) का महत्व	02
8	सामूहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	04
9	विडियोग्राफी एवं स्लैड तकनीक की भूमिका	03
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 7 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	23

14.B समूह तथा संस्थानों के साथ संबंध

कालांश-27

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	समूह तथा संस्थानों का गत्यात्मकता (Dynamics)	02
	निम्न से संबंध एवं उसको समझना	01
2	जनता	02
3	स्त्री एवं बच्चे	01
4	युवा/विद्यार्थी	01
5	अल्पसंख्यक	01
6	औद्योगिक मजदूर	01
7	कृषक एवं भूमिहीन कृषि मजदूर	01
8	संगठित एवं असंगठित मजदूर वर्ग	01
9	व्यवसायिक समूह	01
10	मीडिया	01
11	जनप्रतिनिधि	01
12	व्यापारिक संगठन एवं व्यापारी	01
13	मानवाधिकार संगठन	01
14	उच्चाधिकारी ✓	01
15	अधीनस्थ ✓	01
16	अभिजात वर्ग एवं सहकर्मी	01
17	सरकारी विभाग	01
18	गैर सरकारी संस्थान	01
19	सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र	02
20	स्थानीय निकाय	02
21	सामूहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	03
	जाँच परीक्षा क्रम संख्या 1 से 20 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	27

14.C मानव व्यवहार

कालांश-58

अंक-50

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	व्यवहार का मनोविज्ञान	02
2	व्यवहार को प्रभावित करनेवाले कारक : सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक	02
3	संगठन व्यवहार	02
4	संगठन में व्यक्ति	02
5	व्यक्तित्व का सिद्धांत	02
6	आस्था, सांस्कृतिक-मूल्य, संस्कृति एवं अभिकृति (Attitude) ✓	02
7	व्यक्तित्व चित्रण (Image building)	02
8	व्यक्तिगत धारणा (Self perception)	02
9	प्रेरणा (Motivation) ✓	02
10	अन्तर्कर्मी - प्रभावीकरण (inter personal effectiveness)	02
11	समूह गत्यात्मकता (Group Dynamics)	02
12	अन्तः समूह संबंध (Inter group Relationship)	02
13	विवादो की मध्यस्थता	02
14	समझौतावादी दृष्टिकोण (कौशल) ✓	02
15	सम्प्रेषण एवं प्रसार्य समीक्षा (Transactional Analysis)	02
16	समूह / टीम निर्माण	02
17	नेतृत्व एवं नेतृत्व शैली ✓	03
18	समय प्रबंधन	02
19	तनाव प्रबंधन ✓	02
20	परिवर्तन प्रबंधन (Managing change)	02
21	सृजनात्मक एवं नव परिवर्तन अभिनव (creativity and Innovation)	02
22	संवादों का सम्प्रेषण शैली	02
23	परिचर्चा, कान्फेन्स एवं प्रेसवार्ता शैली	02
24	सभा बुलाना एवं इसका संबोधन (Organising and conduct Meeting)	03
25	(बिडियोफील्म) नेतृत्व, संवादों का सम्प्रेषण, समूह निर्माण, सम्प्रेषण समीक्षा (Transactional Analysis)	04
26	सामूहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	04
	सम्पूर्ण कालांश का योग	58

परिशिष्ट - 15.

पुलिस उपाधीक्षक के कर्तव्य एवं केस स्टडी

15.A पुलिस उपाधीक्षक के कर्तव्य

कालांश-23

अंक-25

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अपराध रोकथाम के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान	03
2	अपराध उद्भेदन के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान	03
3	लोकशांति एवं व्यवस्था के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान	03
4	यातायात प्रबंधन	03
5	न्यायालय कार्य प्रबंधन	03
6	पर्यवेक्षण कार्य	03
7	अभिलेख एवं उपयोगिता	02
8	विभिन्न अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान	03
	सम्पूर्ण कालांश का योग	23

15.B केस स्टडी एवं सिमुलेशन अभ्यास

कालांश-68

अंक-75

क.सं.	विषय वस्तु	कालांश
	केस स्टडी : अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण	
1	शरीर संबंधी अपराध	06
2	सम्पत्ति मूलक अपराध	04
3	अभिलेख (दस्तावेज) संबंधी अपराध	02
4	षड्यंत्र संबंधी अपराध	04
5	सडक दुर्घटना एवं लोक शांति व्यवस्था संबंधी अपराध	10
	सिमुलेशन अभ्यास	
6	सडक दुर्घटना में मृत्यु	02
7	डकैती/लूट	02
8	हत्या	02
9	दुल्हन को जलाना	02
	रोल प्ले :	
10	थाना पर परिवादी	02
11	अपराधियों से पूछ-ताछ	02
12	साक्षी से सवाल जवाब	02
13	पुलिस प्राधिकार का बचाव	02
14	साक्ष्य संग्रह करना	02
15	आन्दोलनकारियों से वार्ता कौशल	02
16	थाना का निरीक्षण	02
17	उच्चतम न्यायालय द्वारा परित आदेशों के आलोक में महत्वपूर्ण कांडों का अध्ययन	20
	सम्पूर्ण कालांश का योग	68

परिशिष्ट - 16.

क्षेत्र कौशल, पुलिस संवाद सम्प्रेषण

16.A क्षेत्र कौशल : फोटोग्राफी एवं पुलिस संवाद सम्प्रेषण

कालांश-22

अंक-25

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	पुलिस कार्य में (स्टील) फोटोग्राफी एवं विडियो फोटोग्राफी की आवश्यकता	02
2	(स्टील) फोटोग्राफी : कैमरा एवं इसके मूलभूत सिद्धांत	04
3	विडियोफोटोग्राफी : विडियो कैमरा एवं इसके मूल भूत सिद्धांत	05
4	पुलिस वितंतु संवाद सम्प्रेषण	02
5	रेडियो (टेलीफोनी) : पुलिस कार्य में दिन-प्रतिदिन इसकी बढ़ती उपयोगिता	01
6	रेडियो (टेलीफोनी) प्रक्रिया एवं वितंतु सेट का इस्तेमाल	02
7	रेडियो प्रक्रिया : संवाद लेखन, संवादों का वर्गीकरण	02
8	रेडियो संवाद सम्प्रेषण (Radio Communication), पुलिस मोबाईल एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष	02
9	संवाद सम्प्रेषण (Communication) के आधुनिक तकनीक	02
सम्पूर्ण कालांश का योग		22

16.B मौखिक संवाद सम्प्रेषण

कालांश-48

अंक-50

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	प्रभावकारी मौखिक संवाद सम्प्रेषण का महत्व	01
2	प्रभावकारी मौखिक संवाद सम्प्रेषण के तकनीक	03
3	अवलोकन एवं वृत्तान्त कथन (Observation & Narration)	02
4	बिना तैयारी के भाषण (Extempore)	06
5	पूर्व से तैयार किया गया भाषण (Prepared)	04
6	वाद-विवाद प्रतियोगिता (Debates)	04
7	वक्तृता भाषण (Declamation on famous speeches)	04
8	सस्वर पाठ (Recitation)	02
9	सामूहिक वाद-विवाद एवं प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन	02
सम्पूर्ण कालांश का योग		28

16.C लिखित संवाद सम्प्रेषण

कालांश-58

अंक-50

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
	प्रतिघातक संवाद के अवयवों (Ingredience of offence communication) से परिचय	
1	अपराध के घटनास्थल का अवलोकन से प्रतिवेदन करने का व्यवहारिक अभ्यास	02
2	बीट पुस्तिका (पंजी) में अभिलेख अंकित करने का अभ्यास	02
3	भीषण यातायात दुर्घटना का लिखित रिपोर्ट तैयार करना	02
4	गिरफ्तारी एवं जप्ति की लिखित रिपोर्ट तैयार करना	02
5	किसी जप्त सम्पत्ति का पंचनामा तैयार करना	02
6	डकैती एवं हत्या के काण्ड में मौखिक शिकायतकर्ता का लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार करना	04
7	अज्ञात से जप्त किया गया आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक का स्पेशल रिपोर्ट तैयार करना	02
8	अभियुक्त का स्वयं स्वीकृति ब्यान तैयार करना	02
9	मरणासन्न (Dying declaration) ब्यान तैयार करना	02
10	खतरनाक मानसिक विकसित (Lunatic) की गिरफ्तारी का रिपोर्ट तैयार करना	02
11	क्षेत्र के अपराधियों के विरुद्ध एकत्रित सूचना का रिपोर्ट तैयार करना	02
12	क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियों के विरुद्ध एकत्रित सूचना का रिपोर्ट तैयार करना	02
13	विभिन्न समूह द्वारा आन्दोलन एवं प्रदर्शन की प्राप्त सूचना का आख्यान तैयार करना	02
14	स्टेशन डायरी में खतरनाक राउडी की सूचना का सनहा लिखने का अभ्यास	02
15	लिखित संवाद सम्प्रेषण का महत्व : एक परिचय	02
16	प्रभावकारी संवाद लेखन के तकनीक (तकनीक)	02
17	विभिन्न अधिनियमों में हिरासत संबंधी रिपोर्ट तैयार करने की विधि	02
18	नियंत्री आदेशों का लेखन (Regulatory order)	02
19	तड़ीपार (Externment) करने का रिपोर्ट	01
20	सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट तैयार करना	02
21	हिस्ट्री शीट में इन्ट्री करना	01
22	आपराधिक घटना एवं विधि व्यवस्था पर रेडियो मैसेज तैयार करना	02
23	स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट तैयार करना	02
24	आरोप पत्र तैयार करना	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	48

परिशिष्ट - 17.

प्राथमिक चिकित्सा, आपातकाल, फायर फाइटिंग, सामुदायिक पुलिसिंग

17.A प्राथमिक चिकित्सा

कालांश-35

अंक-35

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	प्राथमिक चिकित्सा का महत्व	01
2	जोड़ (हड्डी, घाव, छिलाव, बैंडेज, ड्रेसिंग)	02
3	कृत्रिम श्वास (Artificial respiration) डूबने एवं फॉसी के काण्ड में	02
4	जहरखोरी, साँप काटने पर प्राथमिक सहायता	01
5	जलने के काण्ड में प्राथमिक सहायता	01
6	आग : बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा	01
7	बाढ़, तूफान, भूकम्प एवं अन्य प्राकृतिक आपदा में प्राथमिक चिकित्सा	03
8	मिर्गी (Seizures /Fits) के दौरा में प्राथमिक चिकित्सा	01
9	बिजली का करंट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा	01
10	(झील): उपरोक्त सभी विषयों पर मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में (झील)	20
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 9 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	35

17.B सामुदायिक पुलिसिंग

कालांश-15

अंक-15

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणाएँ	03
2	पुलिस जनता संबंध	03
3	सामुदायिक पुलिसिंग एवं अपराध नियंत्रण	02
4	रणनीति का क्रियान्वयन (Implementation Strategy)	03
5	सर्वेक्षण एवं पुनः रणनीतिकरण (Survey and Reengineering)	02
	जाँच परीक्षा कम संख्या 1 से 5 तक	02
	सम्पूर्ण कालांश का योग	15

परिशिष्ट - 18.
कम्प्यूटर, डाटा बेस मैनेजमेन्ट

कालांश-115

अंक-100

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता	02
2	कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय-हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण-जैसे पैन ड्राइव आदि सॉफ्टवेयर	02
3	कम्प्यूटर के हिस्सों का केबिल कनेक्शन	02
4	विन्डो का परिचय	02
5	विन्डो एप्लीकेशन	02
6	नोट पैड	02
7	माई कम्प्यूटर	02
8	टाइपिंग ट्यूटर	02
9	एम0एस0 वर्ड का परिचय	02
10	फाइल बनाना/सेव करना/एम0एस0 वर्ड में खोलना	02
11	एम0एस0 वर्ड में एडिटिंग करना	02
12	एम0एस0 वर्ड में व्यू एवं इन्सर्ट कमाण्ड	01
13	एम0एस0 वर्ड में फॉर्मट एवं टूल कमाण्ड	01
14	एम0एस0 वर्ड में टेबल और फॉन्ट सेटिंग	01
15	एम0एस0 वर्ड में प्रिन्टिंग कमाण्ड	01
16	एम0एस0 पावर प्वाइंट का परिचय	01
17	पावर प्वाइंट में स्लाइड बनाना	02
18	एम0एस0 एक्सल का परिचय	02
19	इन्टरनेट और सर्फिंग का उपयोग	02
20	सी0सी0टी0एन0एस0	02
21	पी0बी0एस0 का परिचय एवं स्कैच	02
22	राज्य का विशिष्ट पुलिस सॉफ्टवेयर	02
23	नेटवर्किंग का परिचय-हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	02
24	इंटरनेट-टी0सी0पी0/आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एड्रेस स्क्रीम	02
25	आई0टी0एक्ट0 2000 एवं अन्य अधिनियम तथा संहिताओं में संशोधन	02
26	साइबर अपराध एवं इंटरनेट अपराध-रोकथाम एवं विवेचना तथा डिजिटल साक्ष्य को समझना	02
27	कम्प्यूटर संबंधित अपराध	02
28	ईमेल एकाउंट बनाना, ई-मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड करना/ई-मेल ट्रैक करना	02
29	कम्प्यूटर फॉरेंसिक्स-मुद्दे एवं चुनौतियाँ	02
30	इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीकियाँ, आई0पी0 कैमरा, सेटलाइट छवियाँ, जी0आई0एस0/जीपीएस, आरएफआईडी तकनीक, साइबर सुरक्षा उद्देश्य प्रशिक्षुओं का कम्प्यूटर साक्षर बनाना है।	10
31	ऑन लाईन टेलीफोन डायरेक्ट्री को एक्सेस करना।	02
32	कम्प्यूटर वायरस का ज्ञान	01
33	एन्टी वायरस प्रोग्राम का ज्ञान	01
34	पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज/साफ्टवेयर	02
35	पे-रोल	01
36	नामिनल रॉल	01

37	ट्रैफिक मैनेजमेन्ट आदि की जानकारी	02
38	सेल फोन, कैमरा एवं पेन ड्राइव, फैक्स मशीन, फोटो स्टेट मशीन जैसे उपसाधनों एवं वाह्य साधनों की जानकारी एवं प्रयोग।	02
39	इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस-	01
40	कानूनी (प्रविधान) तथा अनुमति।	01
41	विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता।	01
42	मोबाईल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न (फंक्शनों) का प्रयोग	01
43	लैण्ड लाईन (बेसिक) एवं डब्ल्यू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली	01
44	प्रदेश में कार्यरत मोबाईल कम्पनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नम्बर	01
45	इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण।	01
46	इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस-कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/ अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।	02
47	फोन (टेपिंग) मोबाईल पर संदिग्धों/अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।	02
48	मोबाईल फोन एवं नवीनतम उपकरणों का परिचय एवं उनकी कार्यप्रणाली।	01
49	विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।	02
50	इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस-प्रस्तुतीकरण (प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा)	02
51	प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपने दैनिक कार्यों में कम्प्यूटर का प्रयोग, कम्प्यूटर पर केस डायरियों एवं विवेचना से संबंधित अभिलेखों को अंकन सहित करने में समर्थ हो सके।	02
52	इसके हैंड्स ऑन अभ्यासों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाय।	01

(53) Rule - Based CCTNS Application Training

Class-17

1. All major functionality of registration, investigation, prosecution.
2. All major functionality of Crime, Law and Order, and Traffic
3. Search functionality and MIS reports additional guidelines
 - a. The training should focus on the users getting comfortable to use the CCTNS application.
 - b. The training is role based and would focus based on user category. A single user might get trained on different modules.
 - c. The training would cover compute life cycle of an activity and would have interconnection with different modules of application.
 - d. Training would cover basic knowledge on the application and its benefits. And also it should cover specific use/ working knowledge in depth of each module for the end user
 - e. This training should be in a role based, benchmarked and standardized format, in HINDI and lead to learning completion and assessment. It should also allow for self-learning and retraining. Training would include mechanism for demonstration using audio/video/simulated/demo practice exercises and evaluation of trainees.

Training Programme
PC Hardware/Trouble Shooting/Networking
Topics

1. Introducing PC fundamentals: Types of Computer.
2. Identify PC component/microprocessor, power supply
3. Mother board memory, input-output device.
4. Display card, audio cards, ports, stores device.
5. Networking device.
6. Laptop component, PCMCIA card, IO parts, infrared port.
7. PC start UP processes post. Troubleshooting quiz
8. Microprocessors
9. Memory
10. Power supply
11. Mother board
12. Explain the working of hard disk, install, hard disk
13. Explain the formatting and partitioning of hard disk
14. Install the operating system on the hard disk
15. Install floppy, optical disk drive, trouble shooting
16. Ports key and mouse
17. Printer, modems
18. SCBI devices, video/monitors
19. Device drives, jumpers setting
20. Working with BIOS & CMOS
21. Systems utilities
22. Assembling & disassembling PC
23. Introducing to DOS
24. Windows XP professional
25. Window vista
26. Trouble shooting
27. Managing user accounts & account polices
28. IP (Class A,B,C) Cables, checking
29. Managing disk & drives
30. Trouble shooting disk, backup of data
31. Managing files & folders
32. Managing local & network printer
33. Internet explorer 7, deleting email, recover email
34. Configure outlook express, creative emails IS
35. Sending & receiving mail, downloading, listening
36. Music on net, troubleshoot internet
37. Configure data protection
38. Maintaining & optimizing window vista
39. Recovering from a computer crash
40. Managing service & registry
41. Installing of MS Office & Other S/W
42. Anti-viruses installation
43. Test

परिशिष्ट - 19.

पुलिस थाना प्रबंधन एवं अभिलेख संधारण

कालांश-100

अंक-100

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
	थाना के सामान्य कार्य :-	
1	अपराधों के रोकथाम एवं कानून व्यवस्था संधारण में पुलिस थाना के दैनिक क्रिया कलाप	02
2	थाना प्रभारी के दायित्वों एवं शक्तियाँ	02
3	थाना में मानव एवं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन	02
4	अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक एवं सिपाहियों के कार्यों का पर्यवेक्षण	02
5	थाना भवन एवं संपत्तियों का रख-रखाव एवं आर्म्स (एमुनेशन) की देखभाल एवं अभिरक्षा	02
6	थाना में लॉक-ऑप का रख-रखाव एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियुक्तों को सुरक्षित ले जाना	02
7	पुलिस कर्मियों एवं अधिनस्थ पुलिस पदाधिकारी एवं उनके परिवारजनों का कल्याण	02
	थाना के अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों का संधारण :-	
8	थाना दैनिकी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट	04
9	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (Inquest report), डेड बॉडी चालान	04
10	अपराध निर्देशिका भाग-I, II, III (CD Part- I, II, III)	04
11	सर्विलांस प्रोसीडिंग (Survilance) proceding)	02
12	इन्चयारी नोटशीट (Inquiry) Notesheet)	01
13	पीकेटींग चार्ट (Picketing Chart)	01
14	अल्फाबेटिकल रजिस्टर एवं अल्फाबेटिकल अनुक्रमणिका, एम0ओ0 इन्डेक्स	04
15	सी0डी0 स्लीप, इन्कवायरी स्लीप, कमान पत्र, हाक-डाक (Hue and cry) सूचना	02
16	डकैती पंजी, लूट पंजी, गुण्डा पंजी, फरारी पंजी	04
17	तख्ती (अनुसंधान, अपराध मानचित्र)	04
18	आगत एवं निर्गत पंजी	01
19	नन एफआईआर रजिस्टर, यू0डी0 केस रजिस्टर	04
20	रिपोर्ट तैयार करना:- 107, 109, 113/117, 133, 145, 182/211 सी0आर0पी0सी0 एवं 34 पुलिस अधिनियम	10
21	आर्म्स लाईसेंस रजिस्टर, गन रजिस्टर	02
21	गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी पंजी, थाना लॉक-ऑप पंजी, लॉक-ऑप नियम	04
23	काण्ड दैनिकी, आरोप पत्र, ब्रिफ, अंतिम प्रपत्र	10
24	मालखाना पंजी (एम0आर0भी0, एम0ओ0भी0, जेड0आर0भी0)	04
25	सी0आर0पी0सी0 83 अंतर्गत कुर्की जप्ती की कार्रवाई, गैर तामिला वारंट	02
26	जख्मी का जख्म प्रतिवदेन	01
27	विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले प्रदर्श का अग्रसारण	04
28	खतियान भाग- I, II	04
29	मासिक अपराध विवरणी	01
30	मासिक रोकड़ विवरणी, रिसिप्ट बुक, एडमाईस रिलप, पी0डी0 बील	02
31	चौकीदारी पंजी, जी0फार्म, एच0फार्म	01
32	लापाता व्यक्ति पंजी	01
33	भेरीफिकेशन रॉल	01
34	पु0ओ0नि0 का नोट बुक, निजी दैनिकी, मासिक कार्य विवरणी, आरक्षी नोटबुक	02
35	रेलवे, बस वारण्ट, लीभ रजिस्टर	01
36	थाना से कोर्ट भेजे जानवोल रोकड़, संपत्ति का चालान	01

पुलिस उपाधीक्षक अधिष्ठापन प्रशिक्षण के बाह्य विषयों का प्रस्तावित पाठ्यक्रम
कुल कालांश - 956

1- प्रशिक्षण अवधि का विवरण	12 (बारह) माह
2- रविवार	54
3- द्वितीय शनिवार	13
4- राजपत्रित अवकाश	32
5- प्रशिक्षण अवधि में वृहस्पतिवार	54
6- वास्तविक आंशिक कार्य दिवस (वृहस्पतिवार)-	54 (54 X 2=108)
7- वास्तविक बाह्य विषय कालांश	956
8- कालांश अवधि	40 मिनट

नोट :-

- (01) कम्प्यूटर प्रशिक्षण बाह्य प्रशिक्षण के उपरान्त ही होगा। मौसम के अनुसार जिन दिनों सायंकालीन मार्च ऑफ 16:30 बजे होगा उस समय कम्प्यूटर प्रशि0 सायंकालीन आउटडोर कार्यक्रम में पूर्व चलाया जा सकता है।
- (02) लॉग बिस्टेन्स कासकंद्री रेस द्वितीय शनिवार की प्रातः कराई जायेगी।
- (03) मौसम के अनुसार जब परेड 06:00 बजे एवं 06:30 बजे मार्च ऑफ हो तो प्रातः पहला एक कालांश 30 मिनट का योग कराया जायेगा जो सम्पूर्ण योग 956 कालांश के अतिरिक्त होगा। इस कारण योग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई औपचारिक स्थान नहीं दिया गया है।
- (04) सायंकाल निर्धारित कालांशों के बाद एक अतिरिक्त कालांश खेल होगा जिसका औपचारिक उल्लेख कालांशों के सम्पूर्ण विवरण में नहीं दिया गया है।
- (05) आवश्यकता पड़ने पर तैराकी का प्रशिक्षण/अभ्यास वृहस्पतिवार की प्रातः काल भी कराया जा सकता है।
- (06) मौसम को देखते हुए पाठ्यक्रम में स्थानीय स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है।

पुलिस उपाधीक्षक के अधिष्ठापन प्रशिक्षण अंतर्गत बाह्य विषय की अंतिम परीक्षाओं व अंको का विवरण

क्र.सं.	विषय	अंक
1	पदादि प्रशिक्षण (बिना शस्त्र) (Drill without Arms)	25
2	पदादि प्रशिक्षण (शस्त्र के साथ) (Drill with Arms)	75
3	शस्त्र प्रशिक्षण	50
4	फायरिंग	25
5	शारीरिक प्रशिक्षण :-	300
	1. पी0टी0/कमाण्ड लीडरशिप	50
	2. एपरेट्स वर्क/ऑब्स्टीकल/असाट्ट कोर्स	75
	50	25
	3. रोड वॉक रन/ कास कन्द्री रेस	25
	4. फिजिकल एफीशियेन्सी	100
	5. यू0 ए0सी0	50
6	यातायात नियंत्रण ड्रिल	25
7	भीड़ नियंत्रण ड्रिल	25
8	फील्ड काफ्ट जंगल ट्रेनिंग	75
9	अश्वारोहण	100
10	मोटर ड्राइविंग	50
11	तैराकी	50
	योग :-	800

परिशिष्ट- 20
शारीरिक प्रशिक्षण

फिजीकल एफीसियेन्सी ट्रेनिंग -	325 कालांश
01- पी0टी0/कमाण्ड लीडरशीप	- 135
02- एपरेंटस वर्क/आब्सटीकल कोर्स (चौड़ा घोड़ा, रस्सा, बीम, सामने लुढ़क, पीछे लुढ़क)	- 80
03-रोड वाक रन/कास कंट्री/लौंग डिस्टेन्स कासकन्ट्री	- 48
04- पी0ई0 टेस्ट (100मी0 दौड़, 1500 मी0 दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, गोला फेक)	- 30
05-यू0ए0सी0	- 32
.....	
योग	- 325

परिशिष्ट-21
ड्रिल प्रशिक्षण

पदादि प्रशिक्षण -	135 कालांश
01- पद कवायद (बिना शस्त्र) (Drill without Arms)	- 35
02- स्क्वाड ड्रिल (शस्त्र सहित) (Squad Drill with Arms)	- 10
03- कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र सहित)	- 20
04- शस्त्र (ड्रिल) (शस्त्र सहित)	- 12
05- गार्ड मार्चिंग (शस्त्र सहित)	- 10
06- सम्मान गार्ड हर्ष फायर/शोक कवायद(शस्त्र सहित)	- 10
07- ई0ओ0डी0 (शस्त्र सहित)	- 04
08- सड़क पंक्ति/वाहन प्रबन्ध (शस्त्र सहित)	- 04
09- प्लाटून/कम्पनी ड्रिल	- 15
10- रूट मार्च (शस्त्र सहित)	- 16
11- सोर्ड ड्रिल (Sword Drill)	- 03
12- केन ड्रिल (Cane Drill)	- 02
.....	
योग	- 135

परिशिष्ट-22
शस्त्र प्रशिक्षण

शस्त्र प्रशिक्षण -	95 कालांश
01- 22 सुखफल/.410 मस्कट	- 03
02- .303 रायफल	- 05
03- 9 एमएम स्टेनगन	- 05
04- 9 एमएम कारबाईन	- 08
05- 9 एमएम पिस्टल	- 15
06- .38 रिवाल्वर	- 15

07- वी0एल0पी0 / पी0एम0एफ0	- 02
08- 7.62 एमएम एस0एल0आर0	- 06
09- 7.62 एमएम ए0के0 47 / ए0के0 56 रायफल	- 06
10- 5.56 एमएम इन्सास रायफल	- 04
11- एल0एम0जी0	- 06
12- जी0एफ0 रायफल	- 03
13- एच0ई0 36 ग्रेनेड	- 03
14- 2" मोर्टार	- 01
15- एन0टी0 रायट गन / टियर स्मोक गन	- 03
16- रिवाल्वर आरमोरर वर्क	- 05
17- रायफल आरमोरर वर्क	- 05

योग - 95

परिशिष्ट-23

शस्त्र फायरिंग

शस्त्र फायरिंग -

30 कालांश

- 01- .22" रायफल
- 02- इन्सास रायफल
- 03- .38" रिवाल्वर / 9 एमएम पिस्टल
- 04- 9 एमएम कारबाईन
- 05- 7.62 एमएम एस0एल0आर0
- 06- 7.62 एमएम ए0के0 47 रायफल
- 07- एल0एम0जी0
- 08- ग्रेनेड (हाथ से / रायफल से)

परिशिष्ट-24

फील्ड काफ्ट टैक्टिक्स एवं जंगल ट्रेनिंग

फील्ड काफ्ट टैक्टिक्स एवं जंगल ट्रेनिंग-

75 कालांश

(अ) फील्ड काफ्ट :-

- 1- देखभाल - 1. जमीन का अध्ययन
2. चीजें क्यों नजर आती हैं
3. छद्म व छुपाव
4. फासले का अनुमान लगाना
5. रात्रि सन्तरी के कर्तव्य
2. जमीनी निशानों, टारगेटों का बयान व पहिचान
3. फायर कन्ट्रोल आर्डर एवं (अनुशासन) डिस्प्लीन
4. खाली हाथ व हथियार के साथ हरकत करना (जंगी चालें)
5. सामान्य रूकावटों को पार करना व फायर पोजीशन चुनना
6. दिन व रात के वक्त दुश्मन की ताक में दबे पाँव चलना (स्टाकिंग बॉर्ड डे (व) नाइट)

(ब) टिकटक्स आदि :-

1. फौजी टिकटकल शब्दों का ज्ञान
2. आतंकवादी क्षेत्र में पुलिस पोस्ट लगाना
3. आतंकवादियों की कार्यपद्धति का ज्ञान
4. मोबाईल चेक पोस्ट
5. सेक्शन व फ्लाटून फॉर्मेशन एवं चान्स इन्काउण्टर
6. स्काउट
7. पेट्रोलिंग
8. भर्वल ऑर्डर तथा ब्रीफिंग
9. रोड ब्लॉक/कानवाय और स्कोर्ट
10. फील्ड सिग्नल्स
11. रैनज कार्ड बनाना
12. बूबी ट्रैप्स
13. एम्बुश व काउण्टर एम्बुश
14. रेड
15. एण्टी डकैती स्कीम—
 - (1) गाँव, मकान व खेत में छिपे डकैतों को गिरफ्तार करना
 - (2) बस व रेल से यात्रा क समय डकैतों को गिरफ्तार करना
16. काउण्टर (इसरजेन्सी) अभियान —
 - (1) घेराबन्दी (2) ड्राइव फॉर हण्ट (3) फायर फ्लश (4) काम्बिंग, तलाशी
17. मैप रीडिंग— सामान्य जानकारी, मैप दिशाओं का ज्ञान, दिन व रात्रि में नक्शा सेट करना
18. कम्पास तथा जी0पी0एस0— सामान्य जानकारी, सेट करना, कम्पास तथा जी0पी0एस0 की सहायता से रात्रि में मार्च करना आदि
19. नाईट नेविगेशन— पार्टियों के बारे में जानकारी, नाईट मार्च, चार्ट बनाना, नेविगेशन पार्टी की मदद से नाईट मार्च
20. सैण्ड मॉडल— सामान्य जानकारी, ब्रीफिंग का तरीका आदि

परिशिष्ट-25

यातायात नियन्त्रण ड्रिल

यातायात नियन्त्रण ड्रिल -	10 कालांश
01- ड्राइवर के संकेत	- 04
02- ट्रैफिक संकेत (हाथ द्वारा)	- 04
03- ट्रैफिक राडार	- 02
.....	
योग	- 10

परिशिष्ट-26

भीड़ नियन्त्रण (बलवा) ड्रिल

भीड़ नियन्त्रण (बलवा) ड्रिल -	35 कालांश
01- बलवा ड्रिल	- 20
02- बैत ड्रिल	- 10
03- टियर स्मोक व रबड़ बुलेट	- 05
.....	
योग	- 35

परिशिष्ट-27
मोटर ड्राइविंग

मोटर ड्राइविंग -	35 कालांश
01- ड्राइविंग फारवर्ड	- 20
02- ड्राइविंग रिवर्स	- 10
03- दिये गये आकार में रिवर्स व फारवर्ड ड्राइविंग	- 05
.....	
योग	- 35

परिशिष्ट-28
तैराकी

तैराकी -	60 कालांश
----------	-----------

परिशिष्ट-29
घुड़सवारी

अश्वारोहन प्रशिक्षण -	140 कालांश
01- अस्तबल प्रबन्धन	- 08
02- टर्नआउट/चढ़ना एवं उतरना	- 04
03- कदम चाल	- 10
04- दुलकी चाल (ट्रॉट)	- 30
05- धीमी चाल (कैन्टर)	- 30
06- सरपट दौड़ (गैलप) व टेन्ट पेगिंग	- 23
07- जम्प	- 15
08- सैडलिंग/ब्रिडलिंग	- 04
09- टुप ड्रिल	- 04
10- ड्यूटी ऑफ सेन्टर गार्ड	- 02
11- ड्यूटी ऑफ टुप लीडर	- 06
12- माउण्टेन साईड ड्रिल	- 04
.....	
योग	- 140

पुनरावलोकन एवं स्वाध्याय -	16 कालांश
----------------------------	-----------

